राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकप.16(19)एम.ई./ग्रुप-1/11 जयपुर, दिनांकः 28 MAY 2014

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मेडिकल कॉलेज,
बीकानेर।

विषयः- नर्स ग्रेड-II पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध मे।
संदर्भः- आपका पत्रांकः 635 दिनांक 24.12.13 एवं 115 दिनांकः 05.03.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावानुसार मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में आवश्यक/अस्थाई आधार पर कार्यरत 39 नर्स ग्रेड-II कार्मिकों (याचिका संख्या 1526/13 में वाद दायर करने वाले कार्मिक) जिनकी सूची संलग्न है, की अस्थाई सेवा अवधि में अभिवृद्धि दिनांकः01.01.2014 से दिनांकः 30.06.2014 तक अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय की दिनांक तक अथवा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थि उपलब्ध होने, तीनों में से जो भी पहले हो तक, नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर यह सुनिश्चित करे कि यदि प्रस्तावित कार्मिको की अस्थाई नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरूद्ध, वित्त विभाग की सहमति से एवं निर्धारित प्रकिया की पालना के उपरांत की गई है, तो ही उक्त अभिवृद्धि मान्य होगी।
2. उक्त सेवा अभिवृद्धि के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई0डी0 संख्याः 101401195 दिनांकः 20.03.14 एवं कार्मिक विभाग की आई0डी0 संख्या 270 दिनांकः 26.03.14 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जाती की जाती है।

भवदीय,

(डॉ एस.पी. सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
4. कार्मिक (क-2) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी